

19.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राधिकरण अधि
अधिवक्ता की राजस्व एच.बी. डिपॉजिट
(डेपॉ) रिपोर्ट अधिवक्ता प्राधिकरण हाथ पेश
की गयी बाक्यूड इसके कोर्ट उपस्थित नहीं।
एकपक्षीय कार्यवाही समल में समर्थित है
अधिवक्ता प्राधिकरण ने अपने प्रतीकात्मक के तर्कों
को दोहराते हुए निवेदन किया कि उत्तर
अनवरत प्रकाश की जात पेशी दिनांक 26.03.2025
की उक्त रोज पेशी के लिए वकील हाथ
सम्पर्क किया गया तो मैं उक्त अर्जित हूँ मैं
मानने के नहीं समझा व मुकदमा प्रथम पक्षाने
की यह दिया पलटू मैंने दावा नहीं चलाते
का कदम को जगती मुकदमा पक्षाने के उपस्थित
जात की थी, मैं वड की कार्यवाही पक्षाने



0.1.20,

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
जारी हु

पाहता हूँ। श्रद्धावश कार्यवाही नहीं चलाने
 के लिए यह दिनांक 26.02.2025 के वकील द्वारा इम्प्लोरि
 नहीं देने के पेश किए गए आवेदन को वापस कर दिया गया है।
 दिनांक 26.02.2025 को
 आदेश निलंबन का प्रारम्भ हुआ। पुनर्वाही पर
 लगे का आदेश उपाय करावे। बदले पर मजबूत
 किया गया। पत्रावली का अन्वेषण किया गया।
 प्रती हाथ रूप के मुद्दों का पैटर्न के लिए
 अन्वेषण नियुक्त किया हुआ है। अन्वेषण
 का यह नैतिक दायित्व है कि वो उक्त
 में उपाय के अपने पक्षकार को उपाय
 करके तथा पक्षकार की बचत मुद्दों
 को लेवा सत्रग रहे प्रती के अन्वेषण
 अन्वेषण क्षेत्र के प्रती पर इम्प्लोरि नहीं का
 अन्वेषण. इस निर्धारित तारीख प्रती
 पर इम्प्लोरि नहीं होना केवल इल अन्वेषण
 पर प्रती के न्याय के वसूली कला उचित
 प्रती नहीं होगे हैं। दावे के अन्वेषण हाथी
 अन्वेषण पैटर्न के अन्वेषण क्षेत्र की पुनर्वाही
 के वापस इम्प्लोरि न्यायपालिका द्वारा प्रती-पत्र
 प्रती किया है अन्वेषण अन्वेषण प्रती के लिए
 उक्त तकनीकी मुद्दों के अन्वेषण पर प्रती
 के न्याय के वसूली कला उचित नहीं है
 तथा उक्त के अन्वेषण एवं अन्वेषण निलंबन
 के लिए उक्त मुद्दों पर निलंबन
 किया जाना आवश्यक है। प्रती-पत्र अन्वेषण

01/1

मुद्रा संख्या : 03/2025


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए।

आदेश 09 दिनांक 04 सी. पी. सी. स्वीका
रिमा जामूल पत्रावली आखरासम कोर्ट
कनास विद्यनाम कोर्ट मुद्रा संख्या
51/2015 को पुनः नम्बर पर लेने व
आदेश दिने जाते हैं जूल पत्रावली मु. सं.
51/2015 दिनांक 11.06.2025 को पत्र है।
उपस्थितियत विषयित दिनांक के आधारपर
पे अभिहित हैं। निर्दिष्ट न-ए-इजलाह
दिनांक 30/06/2025 को पत्र है।

पत्रावली फौजदारी मु. सं.
नम्बर के एक क्रम की जांच साबित
दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)